न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XII, सीवान।

वसीयत प्रमाणन वाद संख्या–153/2024

CIS No.- 153/2024

1. रामाशीष कानू, पे०–स्व० मनबहाल कानू

(ग्राम–केलहरूआ, पो०–चिताखाल, थाना–गुठनी, जिला–सिवान)

.... आवेदक।

ब ना म

1. राधेश्याम कानू
2. राधामोहन कानू
3. राजेश कानू

(ग्राम–केलहरूआ, पो०–चिताखाल, थाना–गुठनी, जिला–सिवान)

.... विपक्षीगण।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री भूपेश कुमार पाण्डे।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – कोई नहीं।

सीवान/दिनांक–22.07.2026

उपस्थितः शशि भूषण कुमार,
जिला न्यायाधीश-XII, सीवान।
सीवान।

नि र्ण य

1. आवेदक रामाशीष कानू, पिता स्व0 मनबहाल कानू ग्राम–केलहरूआ थाना–गुठनी, जिला–सीवान के द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 276 के अन्तर्गत निविष्ट करते हुए प्रोबेट आवेदन दाखिल किया है, जिसका संक्षेप में सार यह है कि स्व0 मलहु कानू पिता स्व0 बंधु कानू निवासी केलहरूआ, पो०–चिताखाल, थाना–गुठनी, जिला–सिवान ने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 24.07.2006 के निष्पादक रहे और दिनांक 01.01.2009 को स्वर्गवासी हो गये। मृत्यु के समय जो उन्होंने अपनी सम्पत्ति को छोड़ा था, उसका वर्णन अनुसूची 01 में दिया गया है। आगे कथन किया है कि वसीयतकर्ता स्व0 मलहु कानू पिता स्व0 बंधु कानू को कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। मलहू कानू के देखभाल एवं सेवा टहल उनके भतीजे रामाशीष कानू एवं स्व० रामएकबाल कानू किया करते थे। आवेदक के सेवा टहल एवं देखभाल से प्रसन्न होकर वसीयतकर्ता मलहु कानू की अंतिम ईच्छा हुई कि अपनी भूसम्पत्ति आवेदक के पक्ष में निष्पादित करें। दिनांक – 24.07.2006 को वसीयतकर्ता मलहु कानू निष्पादक ने अपनी स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वयं ईच्छा से विलेख को निबंधन कार्यालय, सिवान में निष्पादित किया। वसीयतनामा पर रामाशीष कानू के अतिरिक्त मुन्ना चौहान एवं इन्द्रासन प्रजापति ने गवाह के रूप में अपना–अपना हस्ताक्षर किये। निष्पादक का अंत्येष्ठी व श्राद्ध संस्कार आवेदक के द्वारा हिन्दु रीति–रिवाज के तहत किया गया। आवेदक का कथन है कि आवेदक रामाशीष कानु और रामइकबाल कानु वसीयतकर्ता मलहु कानु के भतीजा हैं, वसीयतकर्ता मलहु कानु के कोई संतान न होने के कारण वे दोनों वसीयकर्ता के सेवा टहल करवाया करता था, और मृत्यु तक उनका सेवाटहल किये हैं। वसीयतकर्ता मलहु कानु निवासी केलहरूआ,

पो०–चिताखाल, थाना–गुठनी, जिला–सिवान दिनांक – 01.01.2009 को स्वर्गवासी हो गये। आवेदक रामाशीष कानु के भाई रामइकबाल की मृत्यु 17.08.2017 को हो गया। मलहु कानु आवेदक के सेवा टहल से प्रसन्न होकर आवेदक के पक्ष में अपने संपति का वसीयतनामा लिखा था, और आवेदक ने उसे स्वीकार भी किया था। वसीयतनामा लिखने का समय मलहु कानु वृद्ध थे लेकिन उनका स्वास्थय, सोचने व समझने की शक्ति काफी प्रबल थी। मलहु कानु ने कातिब सुधाकर पाण्डे से निवेदन कर आवेदक के पक्ष में अपनी संपति का उतराधिकारी होने का वसीयतनामा तैयार करवाया था। कातिब सुधाकर पांडे ने दिनांक 24.07.2006 को वसीयतकर्ता मलहु कानु की उपस्थिति में आवेदक के नाम से वसीयतनामा तैयार किया। कातिब ने उस वसीयतनामा को साक्षी मुन्ना चौहान व इंद्रसान प्रजापति के उपस्थिति में वसीयतकर्ता को पढ़कर सुनाया और सही पाकर वसीयतकर्ता ने उस वसीयतनामा पर अपना निशान बना दिया था। मलहु कानु के निवेदन पर साक्षी मुन्ना चौहान, इंद्रासन प्रजापति एवं कातिब सुधाकर पाण्डे ने उस वसीयतनामा पर अपना हस्ताक्षर किया। मलहु कानु ने उक्त वसीयतनामा के निष्पादन हेतु दरौली सब रजिस्ट्रार के पास पेश किया, और फिर इसे पंजीकृत किया गया। चूंकि, मलहु कानु कि मृत्यु दिनांक 01.01.2009 को उनके पैतृक अवास पर हो गई और उनके मरणोपरांत आवेदक उक्त वसीयतनामा के आधार पर वसीयतकर्ता के लगभग 04 लाख रू/– के संपति पर अधिकार हो गया है, क्योंकि वसीयतनामा के अधार पर उतराधिकारी आवेदक ही था। साथ ही, वसीयत में वर्णित संपति इस न्यायालय के अधिकार–क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह न्यायालय इस मामले के सुनवाई करने के लिए सक्षम है। उक्त वसीयतनामा मलहु कानु का प्रथम और अंतिम वसीयतनामा था। अपने जीवनकाल में मलहु कानु ने अपने संपति किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया था। उक्त वसीयतनामा को लेकर न तो इस न्यायालय में और ना ही किसी अन्य न्यायालय में कोई भी केस लंबित है। मल्हु कानु के संपति पर किसी भी प्रकार का लोन और सरकारी बकाया लंबित नहीं है। आवेदन के अंत में परिशिष्ट संख्या 01 में वसीयतनामा में वर्णित एराजी का विवरण दिया गया है। अंत में निवेदन करते हैं कि ग्रांट ऑफ प्रोबेट आवेदक के पक्ष में अंकित किया जाए। आवेदक के समर्थन में शपथ–पत्र भी दाखिल किया गया है।

2. विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न उनकी ओर से लिखित जबाव ही प्रस्तुत किया गया है। अतः इस वाद में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

3. वाद का निर्धारण बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 24.07.2006 को मलहु कानू द्वारा निष्पादित एवं निबंधित वसीयत जो कि आवेदक के पक्ष में उनकी सम्पत्ति के संबंध में है, वह उनके द्वारा स्वस्थ्य मानसिक दशा एवं स्वस्थ्य शारीरिक दशा में स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित है या नहीं ?

4. आवेदक की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में साक्षी संख्या–01 रामाशीष कानु, जो स्वयं आवेदक है। साक्षी संख्या–02 मुन्ना चौहान, एवं साक्षी संख्या–03 इन्द्रासन प्रजापति का साक्ष्य कराया गया है। आवेदक की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–01 मुन्ना चौहान का वसीयतनामा पर हस्ताक्षर दिनांकित 24.07.2006, प्रदर्श–02

इन्द्रासन प्रजापति का वसीयतनामा पर हस्ताक्षर, प्रदर्श–03 सम्पूर्ण वसीयतनामा, प्रदर्श–04 मलहु कानु का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं प्रदर्श–05 खतियान को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अंकित कराया गया है।

5. साक्षी संख्या–01 रामाशीष कानु, जो स्वयं आवेदक है, इन्होंने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रोबेट आवेदन में कही गई बातों का ही समर्थन अपने साक्ष्य में किया है। साक्षी संख्या–02 मुन्ना चौहान, इस साक्षी ने शपथ पत्र से समर्थित अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वसीयतकर्ता मलहु कानु के कहने पर वसीयतनामा का मजमुन आवेदक के पक्ष में लिखा और मजमुन तैयार करने के बाद उसे पढ़कर मलहु कानु को सुनाया व समझा दिया गया, जिसे सही पाकर मलहु कानु वसीयतनामा पर अपना निशान बनाए। मलहु कानु के कहने से मैं मुन्ना चौहान और इन्द्रासन प्रजापति वसीयतनामा पर गवाह के रूप में अपना–अपना निशान बनाये। अंत में वसीयतनामा को पहचानने का दावा किये, जिस पर साक्षी के रूप में स्वयं इस साक्षी का हस्ताक्षर है, वसीयतनामा को प्रदर्श–01 अंकित किया गया है। साक्षी सं0–03 इन्द्रासन प्रजापति है, इस साक्षी ने शपथ पत्र से समर्थित अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वसीयतकर्ता को जानता–पहचानता हूं, क्योंकि वे मेरे गांव के थे। मलहु कानु आवेदक के सेवा टहल से प्रसन्न होकर स्वस्थ्य मानसिक दशा एवं स्वस्थ्य शारीरिक दशा में स्वतंत्र इच्छा से वसीयतनामा निष्पादित किये है। मलहु कानु के दिनांक – 01.01.2009 में मृत्यु के पश्चात् वसीयतनामा वाली जायदाद पर आवेदक का दखल कब्जा है। मलहु कानु का अंतिम संस्कार आवेदक ने किया है। उक्त सभी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन न्यायालय के द्वारा पूछे गये प्रश्नों से ऐसा कोई विरोधाभाषी कथन नहीं आया, जिससे इनके द्वारा दाखिल उक्त प्रोबेट आवेदन पर अविश्वास किया जा सके।

6. सुना। अभिलेख एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रोबेट वाद आवेदक द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24.07.2006 के आधार पर प्रोबेट वाद के अंत में वर्णित सम्पत्ति के निश्वत प्रोबेट निर्गत/प्रशासनिक पत्र करने हेतु लाया गया है। आवेदक द्वारा अपने वाद के समर्थन में कुल 02 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत एवं परीक्षित सभी साक्षियों ने वसीयत वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों का स्वभाविक रूप से समर्थन एवं सम्पोषण किया है। सभी साक्षियों ने मलहु कानु द्वारा आलोच्य वसीयत आवेदक के पक्ष में दिनांक – 24.07.2006 को निष्पादित किये जाने के तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है कि उक्त वसीयत मलहु कानु की इच्छानुसार तैयार की गई थी, जिसे कातिब सुधाकर पाण्डे द्वारा लिखा गया है तथा कहा गया है कि वसीयत तहरीर होने के उपरांत मलहु कानु को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था, जिसके उपरांत स्वस्थ्य मानसिक व शारीरिक स्थिति में गवाहान के समक्ष उन्होंने निशान लगाया था। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल वसीयतनामा, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मलहु कानु द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति (वसीयतनामा) को अभिलेख पर लाया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित

सम्पत्ति जो वसीयत वाद पत्र के अंत में वर्णित है, वसीयतकर्ता मलहु कानु की सम्पत्ति थी तथा उक्त सम्पत्ति को स्वामी की हैसियत से उन्हें वसीयत लिखने का स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त था और आवेदक के साक्षियों ने मलहु द्वारा स्वस्थचित्त अवस्था में उक्त वसीयत लिखे जाने के तथ्य का तात्विक रूप से प्रष्फुटन किया है। इन साक्षियों ने यह भी कहा है कि मलहु कानु की मृत्यु 01.01.2009 को हुई थी। कथित वसीयत निबंधित दस्तावेज है। इसकी शुद्धता पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया गया है। सभी साक्षियों द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 24.07.2006 को उक्त वसीयत तहरीर किये जाने के तथ्य का स्वाभाविक रूप से समर्थन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आवेदक यह साबित करने में सफल रहे हैं कि वसीयतकर्ता मलहु कानु ने आवेदक के पक्ष में दिनांक 24.07.2006 को पूर्णतः स्वस्थचित्त अवस्था में वसीयत तहरीर किया था, जो उनकी अंतिम वसीयत है, जो उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों के आलोक में विधिक रूप से मान्य व वास्तविक प्रतीत होती है।

7. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदक अपने प्रोबेट वाद के अभिवचनों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि कथित वसीयत स्वस्थचित अवस्था में दिनांक 24.07.2006 को वसीयतकर्ता मलहु कानु के द्वारा आवेदक के पक्ष में तहरीर की गई है तथा इनका नाम बतौर मोकिर वसीयत में वर्णित है। ऐसी स्थिति में वसीयत वाद के अंत में वर्णित सम्पति के बावत आवेदक के पक्ष में प्रोबेट/प्रशासनिक पत्र निर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद मलहु कानु द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक – 24.07.2006 के निमित्त प्रोबेट निर्गत करने हेतु लाया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों से प्रश्नगत वसीयत का वास्तविक एवं वैध होना साबित पाया गया है। वसीयतकर्ता की यह अंतिम वसीयत है, जिसके आधार पर आवेदक वसीयतनामा में वर्णित संपत्ति के निश्वत प्रोबेट/प्रशासनीय पत्र प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक–01.01.2009 को हुई थी तथा प्रस्तुत प्रोबेट/प्रशासनीय पत्र आवेदन दिनांक 22.11.2024 को दाखिल किया गया है। उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वसीयत वाद धारा 272 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के सिद्धांतो से बाधित नहीं है तथा विधितः पोषणीय एवं वैध वाद हेतुक के आधार पर दाखिल की गई है। उक्त विश्लेषित तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के पक्ष में प्रोबेट/प्रशासनिक पत्र निर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आ दे श

प्रस्तुत वसीयत वाद, वसीयतनामा दिनांक 24.07.2006 के आधार पर वाद पत्र के अंत में वर्णित सम्पति के निश्वत आवेदक के पक्ष में प्रोबेट/प्रशासनिक पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय नियमानुसार प्रोबेट निर्गत/प्रशासनिक पत्र निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XII, सीवान।</u>

<u>वसीयत प्रमाणन वाद संख्या—153 / 2024</u>

<u>CIS No.- 153/2024</u>

(शशि भूषण कुमार)	(शशि भूषण कुमार)
जिला न्यायाधीश-XII	जिला न्यायाधीश-XII
सिवान।	सिवान।
दिनांक 22.07.2026	दिनांक 22.07.2026